

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-1-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जनवरी 2007 – पौष 15, शक 1928

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर

रायपुर दिनांक 25 नवम्बर 2006

क्रमांक/18/सी.एस.ई.आर.सी./2006, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181(2)(जेड एन) सहपठित धारा 130 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा सूचना की तामीली व प्रकाशन संबंधी निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

शीर्षक एवं प्रारंभ :

1.1 ये विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सूचना की तामीली व प्रकाशन) विनियम, 2006 कहलायेंगे।

1.2 इनका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

1.3 ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाये:

2.1 “अधिनियम” से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36)

2.2 “आयोग” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग।

2.3 “सामग्री” से अभिप्रेत है, और इसमें समाहित है, कोई/समस्त मौखिक लिखित, अथवा दस्तावेजी जानकारी, जो आयोग को किसी व्यक्ति अथवा किसी अन्य स्रोत से जो प्राप्त हुई है।

- 2.4. "सूचना" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 130 के अंतर्गत आयोग द्वारा जारी या प्रकाशित सूचना ।
- 2.5 "आदेश" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत दिया गया आयोग का आदेश ।
- 2.6 जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमन के शब्द व अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003 एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 में परिभाषित है ।

3 सूचना की तामीली एवं कार्यवाही

- 3.1 जहाँ उपलब्ध सामग्री के आधार पर आयोग को संतुष्टि है कि माना गया (deemed) अनुज्ञप्तिधारी सहित कोई अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्ति की किसी शर्तों का अथवा विमुक्ति देने हेतु शर्तों का उल्लंघन कर रहा है या करने वाला है, अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कम्पनी ने अधिनियम के किसी उपबंध या उपबंधों का उल्लंघन किया है अथवा करने वाला है, आयोग आदेश द्वारा आगे बताये अनुसार निर्देश देगा जैसा वह उचित और आवश्यक समझे ताकि शर्तों या उपबंधों का अनुपालन हो ।
- 3.2 जारी किये जाने वाले निर्देश के निर्धारण में आयोग विशेषकर निम्न बातों का ध्यान रखेगा:
- (ए) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लंघन अथवा संभावित उल्लंघन इस अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने को किस सीमा तक प्रभावित करेगा ।
- (बी) प्रासंगिक शर्तों या आवश्यकताओं के उल्लंघन करते हुए कोई कार्यवाही करने अथवा न करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति विशेष को किस सीमा तक हानि या क्षति होती है, तथा
- (सी) वह सीमा जहाँ तक कि अपेक्षित प्रासंगिक शर्तों के तथाकथित उल्लंघन के संबंध में कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध है अथवा नहीं
- 3.3 यदि आयोग निर्देश जारी करना चाहता है, तो वह अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी को सूचना देगा :
- (ए) यह बताते हुये कि वह निर्देश देना चाहता है; तथा
- (बी) यह उल्लेख करते हुये कि: –
- (i) प्रस्तावित निर्देश का उद्देश्य प्रासंगिक शर्तों या अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराना है,
- (ii) ऐसी कार्यवाही जिसका किया जाना अथवा न किया जाना, शर्त अथवा अपेक्षा के उल्लंघन की परिधि में आता है ।
- (iii) ऐसे कार्य के करने या न करने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को किस सीमा तक हानि या क्षति, यदि कोई हो, पहुंच सकती है,
- (iv) अन्य तथ्य जो उसकी राय में, प्रस्तावित निर्देश को औचित्य प्रदान करते हैं; तथा
- (v) प्रस्तावित निर्देश का संभावित प्रभाव,

- (सी) सूचना में सूचना अवधि का उल्लेख होगा जिसके भीतर अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कम्पनी अथवा संभावित प्रभावी अथवा प्रभावित व्यक्ति, प्रस्तावित आदेश के संदर्भ में अभ्यावेदन या आपत्ति, कर सकता है,
- 3.4 आयोग द्वारा जारी की जाने वाली कोई भी सूचना या सूचना की अवधि 7 दिन से कम की नहीं होगी। प्रक्रिया की तामीली, आयोग के निर्देशानुसार, निम्न में से एक या अधिक प्रकार से होगी:
- (1) कार्यवाही के किसी पक्षकार अथवा याचिकाकर्ता द्वारा तामीली,
 - (2) वाहक के माध्यम से तामीली,
 - (3) पावती सहित पंजीकृत डाक से अथवा स्पीड पोस्ट से,
 - (4) इलेक्ट्रानिक माध्यम, ई-मेल या फ़ैक्स द्वारा,
 - (5) ऐसे मामलों में जहां आयोग संतुष्ट है कि सम्बन्धित व्यक्ति को उपरोक्त (1) से (4) द्वारा, सूचना देना व्यावहारिक रूप से तर्क संगत नहीं है तामीली, समाचार पत्र में प्रकाशित कर, की जा सकेगी।
- 3.5 संबंधित व्यक्ति को सूचना अथवा प्रक्रिया उसके द्वारा प्रदत्त पते पर या उसके प्रतिनिधि/अधिकृत अभिकर्ता के पते पर भेजी जानी चाहिये अथवा उस जगह पर जहाँ वह व्यक्ति अथवा उसका अभिकर्ता सामान्यतः निवास करता है, अथवा अपना व्यवसाय करता है।
- 3.6 आयोग के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही, जिसमें सूचना तामीली हेतु अपेक्षित व्यक्ति पक्षकार हो और उसकी उपस्थिति जरूरी हो और उसने अपने प्रतिनिधित्व करने और उपस्थित होने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत किया हो, तो ऐसा प्रतिनिधि उस व्यक्ति की तरफ से समस्त मामलों में हर दृष्टि से सूचना व कार्यवाही ग्रहण करने हेतु विधिवत प्राधिकृत माना जावेगा, एवं प्रतिनिधि को सूचना की तामीली उस व्यक्ति पर सूचना की तामीली मानी जावेगी। ऐसे प्रतिनिधि का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना प्राप्ति की जानकारी शीघ्र उस व्यक्ति को दे जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है।
- 3.7 जहाँ प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी हेतु सूचना को समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक हो वहाँ इस प्रकार प्रकाशन ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में जैसा कि आयोग उचित समझे किया जावेगा। सूचना का प्रकाशन एक हिन्दी एवं एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों के एक-एक संस्करण में जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में व्यापक प्रसार रखते हों, की जा सकती है। यदि उस क्षेत्र से अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित न होता हो तो सूचना दो हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी।
- 3.8 आयोग सूचना की तामीली अथवा तामीली के निर्देश ऐसी अन्य रिति में कर सकता है/ दे सकता है जैसा आयोग उचित समझे। आयोग अपने कार्यालय के सार्वजनिक सूचना पटल में सूचना चस्पा कर सकता है एवं अपनी वेबसाइट में भी प्रकाशित कर सकता है। ऐसी तामीली या प्रकाशन का व्यय भार, आयोग यथाप्रकरण, सम्बन्धित व्यक्ति(यों) पर प्रभारित करने का निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र है।
- 3.9 सूचना की तामीली अथवा प्रकाशन को केवल इस कारण अवैध नहीं माना जावेगा कि व्यक्ति के नाम या विवरण में कोई त्रुटि है, बशर्ते कि आयोग को संतुष्टी हो कि यह तामीली पर्याप्त थी। कोई भी कार्यवाही केवल इसलिये अवैध नहीं होगी कि उसमें कोई त्रुटि या तामीली या प्रकाशन में अनियमितता है, जब तक कि इस संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करने पर आयोग यह मत न बना ले कि इस तरह की त्रुटि अथवा अनियमितता से अन्याय हुआ है या ऐसा होने का अन्यथा पर्याप्त कारण है।

4. संशोधन की शक्ति:

आयोग समय-समय पर आवश्यकतानुसार इन विनियमों को संशोधित, रूपांतरित अथवा अद्यतन कर सकेगा।

5. व्यावृत्तियाँ

5.1 इन विनियमों की कोई बात आयोग को ऐसे कोई भी आदेश देने की अंतर्निहित शक्तियों को, जो न्याय के उद्देश्य को पाने अथवा आयोग की प्रक्रिया के अनुचित लाभ को रोकने, जरूरी है, प्रभावित अथवा अन्यथा सीमित करने वाला नहीं मानी जावेगी।

5.2 इन विनियमों में किया गया कोई भी प्रावधान आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा जो यद्यपि इस विनियम के किन्हीं भी प्रावधानों से भिन्न हो परंतु जिसे आयोग, मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में, और इसके कारण अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो।

नोट : हिन्दी संस्करण के इन विनियमों के प्रावधानों को समझने व व्याख्या करने में किसी तरह का अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) से अंतर होने पर अंग्रेजी संस्करण का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी तरह का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेश द्वारा

**(अजय श्रीवास्तव)
उपसचिव**

परिशिष्ट -1

घोषणा पत्र तथा शपथ पत्र के प्रारूप प्रारूप 1

मैं (व्यक्ति का नाम) आयोग में(पद का नाम) के पद पर कार्यरत हूँ, सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषित करता हूँ कि मैंने (सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम) को आयोग द्वारा जारी सूचना पत्र की तामील कर दी है । तामील उसके पते पर कर दी है । सूचना पत्र संबंधित व्यक्ति के/उसके (संबंधित व्यक्ति से रिश्ता) के हाथों में देकर सूचना पत्र की दूसरी प्रति में उसके हस्ताक्षर लिये ।

नाम व पद

(हस्ताक्षर)

प्रारूप 2

मैं (व्यक्ति का नाम) आयोग में(पद का नाम) के पद पर कार्यरत हूँ, सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषित करता हूँ कि मैं (सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम) के पते पर सूचना पत्र देने गया था । मौके पर मुझे (संबंधित व्यक्ति का नाम) स्वयं/उसका (संबंधित व्यक्ति से रिश्ता) उपस्थित मिला, जिसको सूचना पत्र देने का मैंने प्रयास किया तो उसने सूचना पत्र लेने से इंकार किया । अतः लेने से इंकार करने के संबंध में पृष्ठांकन के साथ अनिर्वहित सूचना पत्र एतद् द्वारा वापस करता हूँ ।

नाम व पद

(हस्ताक्षर)

प्रारूप 3
शपथ पत्र

- मैं (शपथकर्ता का नाम) आत्मज
- आयु वर्ष निवासी (पता) शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ :-
1. मुझे आयोग द्वारा दस्ती तामील के रूप में नोटीस की तामील (सूचना पत्र से संबंधित व्यक्ति का नाम) को करने का निर्देश दिया गया था ।
 2. यह कि मैं, आयोग के निर्देशानुसार (सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम) केपते पर सूचना पत्र देने गया था । मैंने (सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम) को आयोग द्वारा जारी सूचना पत्र की तामील उसके पते पर कर दी है । सूचना पत्र संबंधित व्यक्ति के/उसके (संबंधित व्यक्ति से रिश्ता) के हाथों में देकर सूचना पत्र की दूसरी प्रति में उसके हस्ताक्षर लिये ।

अथवा

यह कि मैं, आयोग के निर्देशानुसार (सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम) केपते पर सूचना पत्र देने गया था । मौके पर मुझे (संबंधित व्यक्ति का नाम) स्वयं/उसका (संबंधित व्यक्ति से रिश्ता) उपस्थित मिला, जिसको सूचना पत्र देने का मैंने प्रयास किया तो उसने सूचना पत्र लेने से इंकार किया । अतः लेने से इंकार करने के संबंध में पृष्ठांकन के साथ अनिर्वहित सूचना पत्र एतद् द्वारा वापस करता हूँ ।

(हस्ताक्षर)
शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (शपथकर्ता का नाम) उपरोक्त शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त कंडिका 1 व 2 के कथन मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य व सही है ।

शपथकर्ता

(हस्ताक्षर)